College of Fisheries Science
CCSHAU, Hisar
Notice for inviting quotation

The applications are invited from interest persons for auction of sewage treated ponds for production of fish for two year from 01.09.2021 to 30.08.2023 through sealed quotations. The detailed terms and conditions and application form for inviting quotation can be seen on the University website. The application for the same can be submitted to Officer Incharge, College of Fisheries Science, CCSHAU, Hisar up to 12.08.2021 at 2.00 PM.

College of Fisheries Science, CCS HAU, Hisar

Application for inviting quotations for auction of sewage treated ponds for production of fish (This is in continuation of earlier notice published in Dainik Jargan on dated 11.07.2021)

Passport size photo

1. Name of Person/Firm:

Aadhar No./ Identity proof with photo:

(Attach photo copy)

Permanent Address:

2. The Person/Firm shall offer their said amount as below:

Sr. No.	Description	Number of sewage treated ponds	Period	Minimum amount	Bid quoted
1	Sewage treated 4 ponds of total area 16.02 acre (= 3.24 acre +4.04 acre +3.10 acre +5.64 acre)	04 ponds	02 years	Rs. 4,73,000/- (for one year)	

3. The Application is to be received on or before "____________________after uploading at University website" at the address mentioned below:

Officer Incharge,
College of Fisheries Science
CCS HAU, Hisar-125 004

4. The Application received after due date and time due to whatever reasons will be rejected.
5. Experience, if any;
6. Any other information:

I have understood the terms and conditions and undertake to execute the work (s) and to abide by all the terms and conditions prescribed for the bid/work. The earnest money of Rs. 50,000/- for the work (s)/bid in DDto be deposited to -----------for applying the bid.

Signature
Name:
Father's Name:
Correspondence address:
Phone Number:

Receipt No. **Date**

(For office use only) Opened by the committee members

मतस्य विज्ञानमहाविद्यालय

चौधरीचरण सिंह हरियाणा कृषिविश्वविद्यालय , हिसार

तालाब की संख्या एवं क्षेत्र –4 (3.24 एकड़, 4.04 एकड़, 3.10 एकड़ एवं 5.64 एकड़ = 16.02 एकड़)

मछलीउत्पादन के लिए तालाब की नीलामी के लिए नियम व शर्ते

1. ठेकेदारकोबोलीमेंभागलेने के लिए 50,000/– रु (पचास हजार रुपए) धरोहरराशि के रूपमेंजमाकरानाहोगा।जिसठेकेदार के नामबोलीछुटेगी उस ठेकेदारको यह राशिठेकापूराहोने के बादवापिस की जाएगी । इसराशिपरविश्वविद्यालय कोईब्याजनहींदेगा।पहलेबोलीदाता द्वारा 25 प्रतिशत (एक चौथाई) पैसाजमाकरानेतकदूसरे व तीसरेस्थानपररहनेवालेबोलीदाता की धरोहरराशिवापिसनहीं की जाएगी।

2. सफलबोलीदाताकोबोलीका 25 प्रतिशत (एक चौथाई) पैसाबोली खत्महोने के 24 घंटे के अन्दरजमाकरानाहोगा।अगरवह 25 प्रतिशतपैसा 24 घंटे के अन्दरजमानहींकरवाताहैतोउसकी धरोहरराशिजब्तकरलीजाएगी एवंठेकादूसरेसफलबोलीदाताको दे दियाजाएगा।बाकि की राशिठेकेदारकोः समानकिस्तोंमेंजमाकरानीहोगी।पहलीकिस्त 15 **अक्टूबर**,2021 तक, दूसरीकिस्त 15**फ़रवरी**, 2022तक,तीसरीकिस्त 15 **जून**2022 तक, चौथीकिस्त15 **अक्टूबर**, 2022 तक,पांचवींकिस्त15 **फ़रवरी** 2023तकऔरछठीकिस्त15 **जून**2023 तकजमाकरवानीहोगी।

3. अगरकिस्त समय परनहींदीतो उस पर 15 प्रतिशतब्याजलियाजाएगाऔर यह राशिकिसीदूसरीकिस्तमेंसम्मिलितनहीं की जाएगी।ऑफिसरइंचार्जकोअधिकारहोगाकि समय परकिस्तनहींदेनेपरमछली की निकासी बंद करदीजाएगी।

4. अनुसंधान एवंअन्य कार्यों के लिए 250 मछलीप्रतिवर्षमहाविद्यालय के लिए आरक्षित रखनाहोगा।

5. वैज्ञानिकअपनेअनुसंधानकार्य के लिए मछलियोंकाचुनावतालाब के किसीभीहिस्सेमेंकरसकतेहैंतथावाछितक्रियाकरसकतेहै।

6. ठेकेदारकोमछलियों की निकासीऑफिसरइंचार्ज की अनुमति से उचित समय परकरनीहोगी।

7. तालाबमेंकिसीप्राकृतिकआपदा से हुए नुकसान की महाविद्यालय की कोईजिम्मेवारीनहींहोगी

8. ठेकेदारतालाबकोकिसीदूसरेव्यक्तिकोआगेठेकेपरनहीं दे सकता।

9. ठेकेदार के पासकामकरनेवालेसभीसदस्योंकोउनकापहचानपत्र देनाहोगा एवंपासपोर्टसाईजफोटोमहाविद्यालय मेंजमाकरवानेहोंगे ।

10. तलाब की बोलीइस शर्तपरलगाईजाएगीकितालाब की 2 साल (2021–22 , 2022–2023) के लिए सुरक्षाऔरतालाब की देखभाल के लिए होनेवालेसभीकार्योंजैसेउपभोग्य वस्तुएं , जाल, शीशियाँ, मजदूरीआदिका खर्चाइत्यादिठेकेदारकोस्वयंवहनकरनाहोगा ।

11. ठेकेदारअगरतालाब की देखभालठीकतरह से नहींकरताहैतोविश्वविद्यालय उसकाठेकारद्दकरसकताहै।

12. ठेकेदारकोप्रतिबंधितमछलियों की प्रजातियोंकोतालाबमेंछोड़ने की अनुमतिनहींहोगी व मछलीकाबीजवैज्ञानिकों की देखरेख मेंडालाजायेगातथाउल्लंघनकरनेपरविश्वविद्यालय उसकाठेकारद्दकरसकताहै।

13. बिजली के लिए उप–मीटरविश्वविद्यालय द्वारास्थापितकियाजाएगा।

14. ठेकेदारकोDHBVNकी दरों के अनुसारनियंत्रक , चौधरीचरण सिंह हरियाणा कृषिविश्वविद्यालय , हिसार (हिसारमें देय) के पक्ष मेंडिमांडड्राफ्ट के माध्यम से उप मीटररीडिंग के अनुसारबिजली शुल्ककाभुगतानकरनाहोगा।

15. ठेकेदारकोनिम्नलिखितकानूनोंकापूरीतरह से पालनकरनाहोगा :

क. मजदूरोंकोमहीने की 7 तारीख तकवेतनदेनाहोगा।

ख. मजदूरोंकोसरकार द्वारावेजिज एक्ट 1948 के तहतमजदूरों के लिए निर्धारितवेतनदेनाहोगाऔरसरकार द्वारा समय – समय परदिए जानेवालेनिर्देशोंकापालनकरनाहोगा ।

ग. ठेकेदारकोमजदूरी की लिखितपर्चीउपलब्ध करवानीहोगी।

16. ई एस आईऔरभविष्य निधि कानूनपूरीतरहलागूकरनाहोगा

17. GSTऔरGSTपरअधिभारविश्वविद्यालय के नियमों के अनुसारलागूहोगा।

18. तालाब की उपजकोविश्वविद्यालय के ट्रेडमार्कऔरलोगो के साथबेचानहींजाएगाऔरउत्पादन की गुणवत्ताको समय–समय परकॉलेजऑफफिशरीजसाइंस , सीसीएस एचएयूहिसारऔरअन्यअधिकारी द्वारानामितकियाजाएगा।

19. ठेकेदारकिसीभीअवैध ज्वलनशीललेख या विस्फोटककोसंग्रहीत या संग्रहीतनहींकरेगाजो जीवन औरसंपत्तिको खतरेमेंडालताहै।

20. ठेकेदार की जिम्मेवारीहोगीकिमजदूरोंकोसरकार द्वारानिर्धारितवेतनमिलेऔरइसकेलिए विश्वविद्यालय की जिम्मेवारीनहींहोगी।

21. ठेकेदारको प्रमाणित करनाहोगाकिउसकेपरिवारकाकोईअन्य सदस्य बोलीमें शामिलनहींहै।

22. सफलठेकेदारकोनीलामी के 10 (दस) दिनों के अन्दर 100/– रुपए के स्टॉम्पपेपरपरनीलामी शर्तोंका एग्रीमेंटदोगवाहों के हस्ताक्षरसहितदेनाहोगा।

23. ठेकेदारद्वारालगाए गए व्यक्तिकोचोटलगने,मृत्युहोने या अपंगहोनेपरदीजानेवालीसहायताराशि केलिए ठेकेदार की जिम्मेवारीहोगी।विश्वविद्यालय परइसतरह की कोईजिम्मेवारीनहींहोगी।

24. ठेके की शर्तोंको न माननेपरठेकारद्दकियाजासकताहैऔरठेकेदारकोब्लैकलिस्टकियाजासकताहै।तालाबकाबाकीबचाकार्यठेकेदार के खर्चेपरपूराकियाजाएगा ।

25. महाविद्यालय कोतालाब के निरीक्षणकाअधिकारहै । मजदूरों के आनेजाने के लिए साधन की जिम्मेवारीठेकेदार की होगी।इसकेलिए महाविद्यालय कोईसाधनउपलब्ध नहींकरवाएगा ।

26. ठेकेदारबोलीलगाने से पहलेतालाबकोदेख सकतेहैंऔरऑफिसरइंचार्ज से भीसम्पर्ककरसकतेहैं ।

27. अनैतिक एवंअसामाजिककार्यतालाब क्षेत्र मेंनिषेध है।दोषी के खिलाफकानूनीकार्रवाई की जाएगीतथाजुर्मानाकियाजाएगा । ठेकेदार द्वाराकिसीनियमकाउल्लंघनकरनेपरजुर्मानाकियाजासकताह।किसीभीतरह के विवादकानिपटाराअनुसंधाननिदेशककरेंगे व उनकाफैसलासभीकोमान्य होगातथाअंतिमहोगा।

28. किसीतरह के कानूनीझगड़ेकानिपटाराहिसारन्यायालय मेंहोगा।

29. कोईअन्य शर्तजोविश्वविद्यालय ठीक समझे,लगाने के लिए स्वतंत्र होगा।

ऑफिसरइंचार्ज